

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 500/2021

1. डुंगाराम परेवा पुत्र स्वर्गीय श्री छीतरमल, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 348 खटीक मोहल्ला, बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. प्रदीप परेवा पुत्र श्री डुंगाराम परेवा, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 348 खटीक मोहल्ला, बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
3. विजय कुमार परेवा पुत्र श्री डुंगाराम परेवा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 348 खटीक मोहल्ला, बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. राजकुमार परेवा पुत्र श्री डुंगाराम परेवा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 348 खटीक मोहल्ला, बांसखो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. जगदीश प्रसाद रैगर पुत्र श्री घासाराम, निवासी रैगरों का मौहल्ला, 105 नया बगराना, आगरा रोड, जयपुर (टाटा मैजिक वाहन क्रमांक आरजे-14-पीडी-0998 का चालक एवं मालिक)
2. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रबंधक के माध्यम से, निवासी - खादी ग्राम उद्योग के सामने, मुख्य संस्थान, बस्सी, रोड, जयपुर। राहुल ऑफिस कंप्यूटर- सहारा चैंबर्स, टोंक रोड, जयपुर। (बीमा कंपनी वाहन टाटा मैजिक नंबर आरजे-14-पीडी 0998)

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) की ओर से : श्री एच.सी. मौर्य, अधिवक्ता
श्री अवेश मौर्य, अधिवक्ता
प्रतिवादी(ओं) की ओर से : श्री रामसिंह भाटी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति उमा शंकर व्यास

निर्णय/आदेश

प्रकाशनीय

12/09/2024

1. अपीलार्थीगण / दावेदारों की ओर से यह अपील विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-02, जयपुर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण 409 / 2018 में

पारित निर्णय व अवार्ड दिनांक 07.08.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से अपीलार्थी क्रम-1 की पत्नी तथा 2 से 4 की माता श्रीमती पार्वती देवी की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल 7,71,448/- रुपये का प्रतिकर प्रस्तुत क्रम 1 व 2 से संयुक्त व पृथक पृथक रूप से याचिका प्रस्तुत होने की दिनांक से वसूली तक 7.5 प्रतिशत व्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. क्लेम याचिका ,में अभिकथनो / वाद शीर्षक में दुर्घटना दिनांक 02-05-2018 को मृतका व दावेदारों की आयु निम्नानुसार अभिकथित की गयी है :-

क्र सं	नाम मृतक / दावेदार	मृतका से रिश्ता	दुर्घटना दिनांक को आयु
1	पार्वती देवी पत्नी डूंगाराम परेवा	स्वयं मृतका	45 वर्ष
2	डूंगाराम परेवा पुत्र छीतरमल	पति	40 वर्ष
3	प्रदीप परेवा पुत्र डूंगरम परेवा	पुत्र	34 वर्ष
4	विजय कुमार पुत्र डूंगरम परेवा	पुत्र	27 वर्ष
5	राजकुमार परेवा पुत्र डूंगरम परेवा	पुत्र	26 वर्ष

3. उपरोक्त अभियोगों व तालिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दावेदारों के अनुसार अपीलार्थी क्रम 1 व उसके पुत्र अपीलार्थी क्रम 2 की आयु में मात्र 6 वर्ष का अंतर है, इस प्रकार मात्र 6 वर्ष की अल्प आयु में अपीलार्थी क्रम 1 पिता बनना पूर्णतः असंभव व असंभव है, जिसे देखते हुए अधिकरण ने यह आदेशित था कि विचारण के दौरान ही दावेदारों व मृतका की आयु के संबंध में विवाकरण दस्तावेजों की मांग की जाये, परंतु विवाकरण दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताओं का कर्तव्य था, जो निर्वहन नहीं किया गया, साक्ष्यों तथा न्यायिक दृष्टिकोण का निर्वहन प्रासंगिक विषय है। न्यायालय द्वारा स्वरूपतः यह आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया गया कि मृतका की दुर्घटना से पूर्व की आयु से संबंधित अभिलेख व दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत करने की निर्देशित किया गया, जिसकी अवहेलना पालन की गई।

4. उपरोक्तानुसार अभिलेख पालन के उपरांत अपीलार्थी पक्ष द्वारा यह अपील वापस ली जाने का निवेदन किया। प्रत्यक्षतः अपीलीय निर्णय से व्यथित नहीं है तथा उनकी ओर से आपत्ति भी नहीं दी गई है। संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरांत यह अपील वापस ली जाने से अपीलार्थियों का प्रकरण समाप्त हो गया।

अतः यह अपील खारिज की जाती है तथा अपीलीय निर्णय की पुष्टि की जाती है।

5. मोटरयान दुर्घटना से संबंधित दावों में प्रतिकर राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ गुणक, आश्रितता, वयस्कता, आय अर्जन की क्षमता आदि बिन्दुओं पर मृतक/आहत व दावेदारों की जन्मतिथि व जन्मतिथि की प्रामाणिकता का बिन्दु न केवल सुसंगत है, अपितु न्याय निर्णयन हेतु अनिवार्य है।
6. प्रायः कई प्रकरणों में यह परिलक्षित होता है कि अधिक व अनुचित प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अनुचित प्रयास के अनुक्रम में दुर्घटना के उपरांत मृतक व्यक्ति के शव परीक्षण व आहत व्यक्ति के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र आदि प्रलेखों में मृतक/आहत की आयु को जानबूझकर कम अंकित करवाया जाता है तथा उससे समायोजित करने के लिए मृतक की पत्नी, बच्चों अथवा माता-पिता व आश्रित व्यक्तियों की आयु भी वास्तविकता के विपरीत गलत रूप से अंकित करते हुए दावे में कम आयु के रूप में उल्लेखित की जाती है तथा इससे भ्रष्ट आचरण व गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।
7. यह भी प्रकट हुआ है कि अधिकांश मामलों में दुर्घटना से पूर्व के आयु सम्बन्धी सुदृढ़ दस्तावेज जानबूझकर दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, जिस पर बीमा कम्पनी सहित विरोधी पक्षों द्वारा इस बिन्दु पर आपत्ति की जाती है। आवश्यकतानुसार प्रलेखों को आहूत किए जाने की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से अधिकरण का समय, जो सद्भाविक पक्षकारों के लिए है, अपव्यय होता है। साक्षीगण की परीक्षा/प्रतिपरीक्षा भी अनावश्यक रूप से विस्तारित होकर न्यायालयों के अमूल्य समय का अपव्यय होता है तथा अनावश्यक अपील प्रस्तुतीकरण का भी अवसर इस कारण से उत्पन्न होता है।
8. दुर्घटना से पूर्व के मृतक, आहत तथा दावेदारों की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज, पेन-कार्ड, आधार-कार्ड, वोटर आई.डी., जनाधार, वोटर-लिस्ट, स्थानीय निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, चालक अनुज्ञा-पत्र आदि सुदृढ़ प्रलेखीय साक्ष्य दावेदारों के कब्जे व नियंत्रण में होना स्वाभाविक है, उन दस्तावेजों को दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाने व जानबूझकर रोके जाने का कोई समीचीन कारण भी नहीं है। ऐसे प्रलेख समय पर प्रस्तुत हो जाने से पूर्ण पारदर्शिता रहेगी एवं प्रकरण का विचारण शीघ्र होगा तथा दावे के विलम्बित होने से उस अवधि का प्रतिकर राशि पर दिए जाने वाले ब्याज/व्यय आदि का अनावश्यक भार भी बीमा कम्पनी आदि पर नहीं आएगा।

9. वस्तुतः वाहन दुर्घटना से संबंधित प्रकरणों के न्याय निर्णयन हेतु दावेदारों तथा मृतक की सही, सटीक व वास्तविक जन्मतिथि के दुर्घटना से पूर्व के विवादरहित दस्तावेज अभिलेख पर आने से क्षतिपूर्ति राशि के वास्तविक अभिनिर्धारण का मार्ग प्रशस्त होगा। न्याय प्राप्ति की संकल्पना/अवधारणा व प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के अनुक्रम में पक्षकारों का भी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से व सही तथ्यों के साथ उपस्थित होना अपेक्षित है तथा उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति के लिए अधिकरण/न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है, उनका निष्क्रिय रहना न्यायिक व्यवस्था व उसकी गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है।

10. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे याचिका प्रस्तुत होने के समय ही दावेदारों तथा मृतक (यदि कोई हो तो) के उम्र व जन्मतिथि से संबंधित आधार कार्ड के अतिरिक्त दुर्घटना से पूर्व के उपर्युक्त वर्णित प्रलेखों में से कम से कम एक दस्तावेज प्रस्तुत व प्राप्त होना सुनिश्चित करें तथा यदि दावेदारों द्वारा ऐसे वांछित प्रलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो विरोधी पक्ष के आवेदन पर अथवा स्वप्रेरणा से आदेश 11 नियम 12 व 14 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकरण ऐसे दस्तावेज/शपथ-पत्र पर प्रस्तुत करने व दावेदारों के कब्जे व नियंत्रण में ऐसे दस्तावेज नहीं होने की दशा में कारणों सहित शपथ-पत्र की मांग की जा सकती है। उपर्युक्त आदेश के बावजूद वांछित दस्तावेज या शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो आदेश 11 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत क्लेम याचिका खारिज की जा सकती है। लंबित क्लेम याचिकाएं चाहे वे किसी भी प्रक्रम पर हों, यदि उनमें उपरोक्त वर्णित दस्तावेज पेश नहीं हुए हैं तथा सुसंगत व आवश्यक हैं तो उन मामलों में भी उपरोक्तानुसार अधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित होगा। दावेदारों द्वारा उपरोक्त दस्तावेज/शपथ-पत्र पेश नहीं करने के कारण से यदि विचारण में सारवान अवधि व्यतीत हुई है तथा भविष्य में कोई प्रतिकर दिलाया जाता है, तो ऐसी अवधि के ब्याज से इन्कार करने हेतु अधिकरण सक्षम है।

11. उपरोक्त निर्देशों व सतर्कता के पश्चात् भी यदि किसी पक्षकार द्वारा जानबूझकर उपरोक्त बिन्दु पर मिथ्या अथवा कूटरचित दस्तावेज पेश किए जाते हैं तथा अधिकरण के समक्ष संदेह के सुदृढ़ आधार हों तो उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन भी करवाने हेतु स्वतंत्र है। सत्यापन के उपरांत कोई प्रतिकूल रिपोर्ट आती है, तो उचित मामलों में विचारण के लंबित रहने के दौरान भी कथित अपराध के लिए प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। कुल मिलाकर न्यायालयीन प्रक्रिया की शुचिता, गरिमा, विश्वसनीयता व पवित्रता सर्वोपरि है तथा किसी भी असद्व्यवहारिक पक्षकार को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12. इस आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ अधिकरण को प्रेषित की जावे।

(उमा शंकर व्यास),जे

मनीष सैनी/499

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी